संख्या–149/2015/xxvii-8/03(120)/2013

प्रेषक,

राकेश शर्मा ,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

विधि
.....अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें

5141
24/7/15

अपर आयुक्त कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

सेवा में,

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग–8 देहरादून दिनांक: 23 जुलाई, 2015

विषयः–उत्तराखण्ड राज्य में बिल्डर्स/डेवलपर्स द्वारा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत देय कर के विकल्प के रूप में एकमुश्त समाधान राशि दिये जाने से सम्बन्धित समाधान योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–5719/आयु0कर0उत्तरा0/विधि0–अनु0/2014–15/देहरादून, दिनांक 07 मार्च, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड राज्य में "बिल्डर्स/डेवलपर्स" द्वारा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत देय कर के विकल्प के रूप में एकमुश्त समाधान राशि दिये जाने से सम्बन्धित समाधान योजना निम्नवत् लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

शासन ने यह निर्णय लिया है कि ""बिल्डर्स/डेवलपर्स" द्वारा देय कर की राशि के विकल्प में उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत समाधान राशि निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार की जाती है :–

(1) (क) इस योजना के अन्तर्गत "बिल्डर्स/डेवलपर्स" से अभिप्रेत ऐसे ब्यौहारी से है, कोई व्यक्ति जो विक्रय के लिये परिसम्पत्ति निर्माण करने का व्यवसाय करता है।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत परिसम्पत्ति का तात्पर्य Flats/Multiunits/आवास /भवन/वाणिज्यिक कॉम्पलैक्स/वाणिज्यिक भवन तथा इनका मिश्रित रूप है।

(2) यह योजना ऐसे पंजीकृत "बिल्डर्स/डेवलपर्स" पर लागू होगी जिनके द्वारा परिसम्पत्ति का निर्माण किया जाता है एवं एक अनुबन्ध (लिखित, मौखिक या निहित(implied))के तहत उसका हस्तांतरण ग्राहक (Buyer) को कर दिया जाता है। इस योजना में वे सभी अनुबन्ध आच्छादित होंगे, जिन्हें उक्त प्रकार से निर्माण किये गये परिसम्पत्ति के पूर्ण होने से पहले किया गया है तथा इस सम्बन्ध में समस्त परिसम्पत्ति का मूल्य या उसका कुछ भाग किश्तों के रूप में अथवा अन्यथा ग्राहक से प्राप्त कर लिया गया है।

(3) इस योजना के अन्तर्गत किसी अनुबन्ध में उल्लिखित सकल धनराशि अथवा वास्तविक सकल भुगतान अथवा ऐसे अनुबन्ध के सम्बन्ध में इण्डियन स्टैम्प एक्ट 1899 के अधीन देय स्टाम्प ड्यूटी के अन्तर्गत अवधारित मूल्य जो भी अधिक हो,

(क) का 1%, केवल प्रदेश के अन्दर से व्यापारियों से माल की खरीद करते हुए प्रदेश में निर्माण किए जा रहे परिसम्पत्ति में इनका अन्तरण किए जाने की दशा में, समाधान राशि होगी; या